

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियमावली 2011 के नियम-17 के उप नियम (5) के अन्तर्गत
कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल
पत्रांक-मान्यता-आर0टी0ई0/ १८४)-७० / ५६/१३/२०२०
/अंगेजी-(नवीन मान्यता) / 2020-21 दिनांक-१६/१३/२०२०

सेवा में,
प्रबन्धक, / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य
संत थेरेसा सी0सो० स्कूल,
काठगोदाम, हल्द्वानी।
नैनीताल।

विषय-
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के उप
नियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र

महोदय,
आपके आवेदन पत्र दिनांक-02.10.2020 एवं उप शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल के
कार्यालय पत्रांक-705-06/मान्यता/2020-21 दिनांक-13.10.2020 द्वारा निरीक्षण उपरान्त दी गयी
संस्कृति के आधार पर आपके विद्यालय संत थेरेसा सी०सो० स्कूल, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल को
प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 से आगामी पांच वर्ष
(दिनांक-31.03.2025 तक) के लिए मान्यता स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति शासनादेशों में प्रख्यापित
नियमों/उप नियमों के अनुपालन के अधीन होगी।

01. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन
आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों
का नामांकन अपने पढ़ोस के कमज़ोर एवं शिक्षा से वंचित समुदय के बच्चों का
करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान
करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो
इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
04. उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्तित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (2) के आलोक में
निर्धारित राशि की प्रतीपत्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के
लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
05. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त
नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक
का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
06. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित
अवधिके बाद प्रदेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक
कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
07. विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे—
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और
नहीं किसी नाकिंत बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विश्वासित
किया जाएगा।
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा।
मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

(02)

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोल परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने ताले प्रत्येक बच्चे को नियम 36 के अनुरूप (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशरण/विशेष आवश्यकता ताले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपचारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में गे सामय-सामय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाली रुप्नेरेखा करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपचारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राप्तिपानित शिक्षकों के दाखिल का निवीकृण करेगा।

(आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण—गति विधि (दृष्टिशं) में संलग्न नहीं होगें।

08. विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचारी एवं पाठ्य का अनुसारण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राप्तिपानों के आलोक में उपलब्ध रुपिधारों के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उपलब्ध मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा।

11. विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष प्रोत्तरा पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आव्याहन/संस्तुति के अनुसार मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

• विद्यालय—परिसार का क्षेत्रफल—	16511 वर्ग मीटर
• कुल निर्मित क्षेत्र—	9427 वर्ग मीटर
• खेल का मैदान—	है।
• कक्षों की कुल संख्या—	32
• प्रधानाध्यापक कक्ष/साह भॉडार—	01
• बालक/बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय—35	
• पेयजल सुविधा—	है।
• मध्यान्त भोजन के लिए रसोईघर—	लागू नहीं।
• बाधा रहित—	है।
• शिक्षण अधिगमन रागादी—	खेलकूद/उपकरण/पुस्तकालय उपलब्ध है।

12. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसार में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय भवन अव्याहार अन्य संरचनाएँ अव्याहार गैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/संरचना या गैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावरायिक हेतु नहीं किया जाएगा।

14. विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अव्याहार किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी परिवर्तन के गान्धीगं रो रांचालित होगा।

15. विद्यालय किसी व्यक्ति रागूह अव्याहार व्यक्तियों के रांघ अव्याहार किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

26

(03)

16. लेखा का अकेशण एवं उसका प्रभाणीकरण चार्टड एकाउन्टेन्ट के हारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवारी मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

17. आपके विद्यालय को आबटित मान्यता कोड संख्या 31/2020 है। इस को कार्यालय से किसी प्रकार का पञ्चाशार करने में इस कोड को कृपया अकित एवं उद्घात किया जाए।

18. राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के हारा समय-समय पर मार्ग गद्य प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के हारा उपलब्ध करायी जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्त की नियन्त्रण पृति की मुनिशित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय हारा किया जाएगा।

19. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।

20. विद्यालय हारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

21. परिशिष्ट - छार के रूप में सलग्न अन्य हैं।

22. यदि विद्यालय हारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

23. बच्चों की मुश्किल नुनिश्चित किया जाने हेतु माझ उच्च न्यायालय एवं माझ उच्चतम न्यायालय तथा शासन/विभाग हारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

महाराष्ट्र

२५.१२.२०

(कोरल) २५.१२.२०
मुख्य शिक्षा अधिकारी
मैनीताल।

पृष्ठा-०१- मान्यता-आर०१०५०/ २५.१२.२०/ / अरुजी- (नवीन मान्यता) / 2020-21 दिनांक- तददिनांक।
प्रियजनों- जिम्मेदार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

०१. निदाक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

०२. निदाक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, मैनीताल।

०३. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, मैनीताल।

०४. संबंधित खण्ड / उप शिक्षा अधिकारी।

०५. कार्यालय सुरक्षित परिका।

२५.१२.२०
मुख्य शिक्षा अधिकारी
मैनीताल।